दिनांक 25 जुलाई 2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

नाली निर्माण कार्य में लापरवाही आयुक्त के निर्देश पर जोन कमिश्नर ने जारी किया नोटिस

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एसके सुंदरानी के निर्देश पर जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 टीपी लहरें ने नाली निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले मैसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन न्यू कृष्णा नगर भिलाई को नोटिस जारी किया है! वार्ड क्रमांक 7 फरीदनगर ईदगाह मोहल्ला मे नाली संधारण का कार्य मैसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन को कार्य आदेश दिनांक 20 जून 2019 को दिया गया है! जोन आयुक्त ने एजेंसी को पत्र जारी करते हुए उल्लेख किया है कि वार्ड क्रमांक 7 फरीदनगर ईदगाह मोहल्ला में नाली संधारण कार्य हेतु कार्य आदेश दिया गया है आपके द्वारा नाली संधारण कार्य किया जा रहा है उसका स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि अब्दुल के घर से अनवर सिद्दीकी के घर तक (20 मी.) किए गए नाली निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं है एवं किया गया कंक्रीट मानक के अनुरूप नहीं है! इसलिए बनाए गए नाली को तोड़कर पुनः नाली निर्माण करें अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी! जिसकी संपूर्ण जवाबदारी एजेंसी की होगी! आयुक्त एसके सुंदरानी ने कहा है कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी सभी एजेंसी गुणवत्ता पूर्वक कार्य करें इससे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा!

जनसम्पर्क अधिकारी

जल है तो कल है जल ही जीवन है!